

कायालय अस्पताल अधीक्षक,
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय,
कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग) ई-मेल :-ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक / रखरखाव / CCMGMCH / 2024 / 58

दुर्ग, दिनांक / 8-1-2024

// रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रण— सूचना //

विषय:- चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, दुर्ग में स्थापित आरो एवं वाटर कूलर के रख-रखाव बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि, चिकित्सालय के विभिन्न विभागों में स्थापित आरो एवं वाटर कूलर हेतु (प्रस्ताव 01 एवं 02) ए.एम.सी./मरम्मत प्राक्कलन "जहाँ है जैसा है" के शर्त पर किया जाना है। आरो एवं वाटर कूलर का विवरण निम्नानुसार है:-

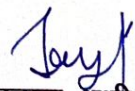
आरो. का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) —(प्रस्ताव-01)

क्रमांक	कंपनी का नाम	संख्या	रिमार्क
1	Aquafresh R.O.	12	
2	Eurotech Water Purifier	3	
3	Puridrop	1	
4	Kent R.O.	1	
कुल		17	

वाटर कूलर का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) —(प्रस्ताव-02)

क्रमांक	कंपनी का नाम	संख्या	रिमार्क
1	Voltas	4	
कुल		4	

उक्त कार्य हेतु निर्माता, अधिकृत अथवा अनुभवी फर्म, मशीन के व्यापक निरीक्षण उपरान्त उपरोक्तानुसार कोई भी एक प्रस्ताव / दोनों प्रस्ताव दर, प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित की जाती है। विस्तृत अवलोकन हेतु महाविद्यालय की वेब-साइट (www.ccmgmcdurg.ac.in) तथा सूचना पटल से जानकारी प्राप्त कर, मोहर बंद लिफाफे में दिनांक 19 जनवरी 2024 शाम 05:00 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।


अस्पताल अधीक्षक
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, दुर्ग

कायालय अस्पताल अधीक्षक,
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय,
कचान्दुर, दुर्ग (छ.ग) ई-मेल :-ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक / रखरखाव / CCMGMCH / 2024 / 57

दुर्ग, दिनांक / 8-1-2024

// रुचि की अभिव्यक्तिप्रस्ताव प्रारूप तथा नियम शर्तें //

आरो. का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) – (प्रस्ताव-01)

क्रमांक	कंपनी का नाम	संख्या	रिमार्क
1	Aquafresh R.O.	12	
2	Eurotech Water Purifier	3	
3	Puridrop	1	
4	Kent R.O.	1	
कुल		17	

वाटर कूलर का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) – (प्रस्ताव-02)

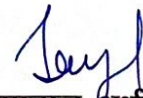
क्रमांक	कंपनी का नाम	संख्या	रिमार्क
1	Voltas	4	
कुल		4	

आरो एवं वाटर कूलर के वार्षिक ए.एम.सी. / मरम्मत प्राक्कलन प्रस्तुत करने हेतु नियम एवं शर्तें

1. प्रस्ताव के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक रहेगी जिस हेतु 100/-रु. नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर में अनुबंध किया जायेगा। अनुबंध दिनांक से प्रस्ताव एक वर्ष के लिए मान्य होगी।
2. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करें।
3. रखरखाव हेतु चिकित्सालय में भौतिक निरीक्षण स्वयं कर दर प्रस्तुत करें। **“जहाँ है जैसा है” के शर्त पर रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित है।**
4. वार्षिक रखरखाव अनुबंध (ए.एम.सी.) का दर मशीनो की वर्तमान स्थिती को देखकर ही उल्लेखित करें।
5. आपातकालीन स्थिति (दूरभाष) पर बुलाये जाने पर 24 घंटे के भीतर सर्विस देना अनिवार्य होगा।
6. रखरखाव का कार्य संतोष प्रद होने पर समान शर्तें एवं दरो पर वैधता बढ़ाई जा सकती है।
7. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधीक्षक, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, कचान्दूर, दुर्ग छ.ग. को होगा, जिसका कारण बताने के लिये कार्यालय बाध्य नहीं है।
8. उक्त कार्य हेतु निर्माता/अधिकृत/अनुभवी फर्म अथवा सर्विस प्रोवाइडर उक्त प्रस्ताव में शामिल हो सकते हैं।

9. सेवा प्रदाय किये जाने के उपरांत सर्विस रिपोर्ट प्रदाय करनी होगी जो वार्डों/विभागों के विभाध्याक्ष द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
10. अनुशासित किये गये फर्म को आदेश जारी होने के उपरांत 9,000/- रु. सुरक्षा निधी के रूप में एफ.डी.आर. चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग छ.ग. के नाम से प्रस्तुत करना होगा।
11. आरो एवं वाटर कूलर का प्रस्ताव 01 एवं 02 का अनुबंध प्रदाय की गई सर्विस दर शामिल होगी। वार्षिक रखरखाव का भुगतान 06-06 माह की अवधि में किया जायेगा, प्रथम भुगतान वार्षिक रखरखाव के 06 माह पूर्ण करने के पश्चात् एवं अंतिम भुगतान 01 वर्ष सफलतापूर्वक सेवा प्रदाय किये जाने के पश्चात् किया जायेगा। यदि वार्षिक रखरखाव संतोषप्रद नहीं किये जाने की स्थिति में आदेश निरस्त कर एफ.डी.आर. की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
12. समस्त क्रय/रखरखाव कार्य की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भंडार क्रय नियम/ शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे।
13. वार्षिक रखरखाव की आदेश में वर्णित मशीनों की संख्या कमी या वृद्धि की जा सकती है। दर्शित संख्या अनुमानित है। शर्तों के पालन नहीं किये जाने की स्थिति में या किसी भी विवाद की स्थिति में आदेश निरस्त किया जा सकता है एवं नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
14. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त कार्य अत्याधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
15. आपके द्वारा प्रदाय की गई समस्त जानकारी सत्य है एवं मुझे आपके सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं के संबंध में आपके एक नॉन जूडिशियल स्टॉम्प पेपर में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।



अस्पताल अधीक्षक
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय
संबद्ध चिकित्सालय, दुर्ग